



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2013/ज्येष्ठ 20, 1935

No. 280]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2013/JYAISTHA 20, 1935

वित्त मंत्रालय

(विभागराजस्व)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून 0, 2013

सा. का. नि. 365(अ).—स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ: अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (46 का 1988) की धारा द्वारा प्रदत्त (क) के खण्ड 9 शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. नि.का.सा. 181 (अ), दिनांक मार्च 19, के अधिक्रमण में 2013, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक मार्च 22, तक प्रभाव से तक की अवधि के लिए तात्का 2014 लिखित शामिल होंगे एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्न :—

-)i(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अक्षय - मुरलीधर .एस 0
-)ii(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी सदस्य -
-)iii(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कैत सदस्य -

[फा.सं. यू.11016/01/2011-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस.]

विनेश पचनन्दा, अवर सचिव)पीआईटीएनडीपीएस(

पाद टिप्पणी: यह अधिसूचना सा. का. नि. 181 (अ), दिनांक मार्च 19, भारत के राजपत्र 2013 भाग (असाधारण) II, खण्ड 3, उप खण्ड - मार्च 21 में दिनांक (को प्रकाशित हुई थी। 2013

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, 10th June, 2013

G.S.R 365 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. GSR. 181(E), dated 19th March, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board with immediate effect for a period upto 22nd March, 2014, consisting of :—

- (i) Hon'ble Dr. Justice S. Muralidhar, Chairman
- (ii) Hon'ble Mr. Justice VipinSanghi, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Suresh Kait, Member

[F. No. U.11016/01/2011-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy. (PITNDPS)

Footnote: The Notification G.S.R.181(E) dated 19th March, 2013 was published in the Gazette of India(Extraordinary) Part II,Section 3, Sub-Section-(i) on 21st March, 2013.